"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च 2006—चैत्र 10, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/27/2006/वाक/पांच (21).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं को 1 अप्रैल, 2006 की प्रभावशीलता से विखंडित करती है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	अधिसूचना क्रमांक (2)	दिनांक (3)
1.	ए-5-1-94-विक-पांच (18)	01-04-95
2.	ए-5-1-94-विक-पांच (19)	01-04-95
3.	ए-5-1-94-विक-पांच (20)	01-04-95
4.	ए-5-1-94-विक-पांच (21)	01-04-95
5.	ए-5-1-94-विक-पांच (22)	01-04-95
6.	ए-5-1-94-विक-पांच (23)	01-04-95
7.	ए-5-1-94-विक-पांच (24)	01-04-95
8.	ए-5-1-94-विक-पांच (28)	01-04-95

(1)	(2)	(3)
9.	ए-3-8-95-विक-पांच (68)	07-08-95
10.	ए-3-8-95-विक-पांच (69)	07-08-95
11.	ए-3-8-95-विक-पांच (70)	07-08-95
12.	ए-3-15-95-विक-पांच (84)	06-11-95
13.	ए-5-4-96-विक-पांच (14)	12-04-96
14.	ए-3-46-96-विक-पांच (3)	22-01-97
15.	ए-3-89-95-विक-पांच (111)	12-12-97
16.	ए-3-27-2000-विक-पांच (24)	30-03-2000
17.	ए-3-46-2000-विक-पांच (52)	17-07-2000
18.	ए-3-49-99-विक-पांच (70)	31-08-2000
19.	ए-3-45-2000-विक-पांच (75)	28-09-2000
20.	ए-3-44-2000-विक-पांच (80)	12-10-2000
21.	एफ-10-29-2004-वाक-पांच (69)	23-09-2004

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

क्रमांक एफ-10/27/2006/वाक/पांच (21).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/27/2006/वाक/पांच (21), दिनांक 31-3-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 31st March 2006

NOTIFICATION

No. F-10/27/2006/CT/V (21).—In exercise of the powers conferred under the provisions of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby rescinds the notifications specified in the schedule below with effect from 1st April, 2006 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Notification No. (2)	Date (3)
1.	A-5-1-94-ST-V (18)	01-04-95
2.	A-5-1-94-ST-V (19)	01-04-95
3.	A-5-1-94-ST-V (20)	01-04-95
4.	A-5-1-94-ST-V (21)	01-04-95

(1)	(2)	(3)
5.	A-5-1-94-ST-V (22)	01-04-95
6.	A-5-1-94-ST-V (23)	01-04-95
7.	A-5-1-94-ST-V (24)	01-04-95
8.	A-5-1-94-ST-V (28)	01-04-95
9.	A-3-8-95-ST-V (68)	07-08-95
10.	A-3-8-95-ST-V (69)	07-08-95
11.	A-3-8-95-ST-V (70)	07-08-95
12.	A-3-15-95-ST-V (84)	06-11-95
13.	A-5-4-96-ST-V (14)	12-04-96
14.	A-3-46-96-ST-V (3)	22-01-97
15.	A-3-89-95-ST-V (111)	12-12-97
16.	A-3-27-2000-ST-V (24)	30-03-2000
17.	A-3-46-2000-ST-V (52)	17-07-2000
18.	A-3-49-99-ST-V (70)	31-08-2000
19.	A-3-45-2000-ST-V (75)	28-09-2000
20.	A-3-44-2000-ST-V (80)	12-10-2000
21.	F-10-29-2004-CT-V (69)	23-09-2004

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/32/2006/वाक/पांच (22).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, व्यवसायी द्वारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है (4)
1.	पीतल, तांबा तथा कांसे की चद्दरें और सर्कल एवं एल्यूमिनियम स्क्रेप से निर्मित चद्दरें तथा सर्कल.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	जूट बेग्स	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	
3.	लोहा की चद्दरें	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	
4.	एल्यूमिनियम से बने थर्माइट फ्लक्स (एल्यूमिनियम पाउडर) वायर्स, केबल्स, स्ट्रीप्स, वाइडिंग वायर, फाइल, कन्डक्टर्स और एक्सटुडेड सेक्शन्स.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	
5.	खाद्य तेल एवं खली	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	
6.	सायकल के पुर्जे	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	
7.	अर्थ मूविंग, सड़क निर्माण, सामग्री हस्तन तथा खनन उपकरण.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	
8.	इन्गॉट्स, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) की श्रेणी (दो) में वर्णित है.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	
9.	तैयार वस्त्र	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	
10.	जूट कपड़ा एवं जूट रस्सी	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	
11.	केमिकल्स	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित लघु औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो.
12.	ट्रांसफार्मर	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो.
13.	पैकेट चाय	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	जब पंजीकृत व्यवसाई जो राज्य में स्थित लघु स्तरीय इकाई हो एवं उद्योग विभाग में पंजीयत हो, द्वारा प्रसंस्करण/ब्लेंडिंग पश्चात् बेची जाए.

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	स्पंज आयरन	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	
15.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खंड (चार) के प्रवर्ग (चार) तथा (पांच) में वर्णित लोहा एवं इस्पात, हूप्स, स्ट्रीप्स, फीश प्लेट बार्स, बेयरिंग प्लेट बार्स एवं इनके छोर की कटिंग्स.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थिति रि-रोलिंग मिल द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो.
16.	एल्यूमिनियम के सभी उत्पाद-प्रायमरी और सेकण्डरी.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	जब भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमि. कोरबा द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो.
17.	फेरो एलायज	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

क्रमांक एफ-10/32/2006/वाक/पांच (22).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/32/2006/वाक/पांच (22), दिनांक 31-3-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 31st March 2006

NOTIFICATION

No. F-10/32/2006/CT/V (22).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfilment of the requirements laid down in sub-section (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent

specified in column (3) for the period from 1st April, 2006 to 31st March, 2007 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule,—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sheets and circles of brass, copper and kansa and sheets and circles manufactured out of aluminium scrap.	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
2.	Jute bags	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
3.	Iron sheets	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
4.	Thermite flux (Aluminium powder) wires, cables, strips, winding wire, foil, conductors and extruded sections made of aluminium.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	
5.	Edible oil and oil cake	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	
6.	Cycle parts	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
7.	Earth moving, road constructions, material handling and mining equipments.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	
8.	Ingots, as specified in category (ii) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	
9.	Readymade garments	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
10.	Jute cloth and jute twine	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
11.	Chemicals	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	When manufactured and sold by small-scale industries situated in Chhattisgarh State.
12.	Transformer	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	When manufactured and sold by an industrial unit situated in Chhattisgarh State.

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Packet Tea	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	When sold by a registered dealer after processing/blending, who is a small-scale unit situated in the State and registered in industries department.
14.	Sponge Iron	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
15.	Iron and steel as specified in categories (iv), (v) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956, hoops, strips, fish plate bars, bearing plate bars and end cutting thereof.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	When manufactured and sold by re-rolling mill situated in Chhattisgarh State.
16.	All products of Aluminium primary and secondary.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent..	When manufactured and sold by Bharat Aluminium Company Ltd. Korba.
17.	Ferro alloys	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.